

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

232/2024

व : -
1. गुलाब पुत्र इस्माईल जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड न0 1 भादरा तहसील भादरा। :-प्रार्थी

बनाम

- 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
- 2 उम्मेद खां पुत्र इस्माईल जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड न0 1 भादरा तहसील भादरा।
- 3 कासम अली पुत्र इस्माईल जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड न0 1 भादरा तहसील भादरा।
- 4 हसन मौहम्मद पुत्र इस्माईल जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड न0 1 भादरा तहसील भादरा। :-अप्रार्थीगण



प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट
उपस्थिति :- श्री राजेन्द्र गोयल प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 3/6/25

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 बीएचपी के खाता सं0 96/72 के मु0 न0 95 के किला न0 6, 7, 13 ता 18, 23 ता 25, मु0 न0 98 के किला न0 1, 14/2, 16/3, 16/4, 17 कुल रकबा 3.4150 है0 जिसमें नहरी 3.3770 है0, गै0 मु0 रास्ता 0.038 है0 खातेदारी कृषि भूमि में गुलाममो0 पुत्र इस्माईल 1/5 हिस्सा व अप्रार्थी सं0 2 ता 4 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा व प्रार्थी की माता जुमिया का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम गुलाब पुत्र इस्माईल के स्थान पर अशुद्ध नाम गुलाममो0 पुत्र इस्माईल दर्ज है

प्रार्थी के जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, बैंक पास बुक एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम गुलाब पुत्र इस्माईल राम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग-उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश किया। व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 की और से जवाब पेश किया गया।


बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा चक 1 बीएचपी के खाता सं0 96/72 के मु0 न0 95 के किला न0 6, 7, 13 ता 18, 23 ता 25, मु0 न0 98 के किला न0 14/1, 14/2, 16/3, 16/4, 17 कुल रकबा 3.4150 है0 जिसमें नहरी 3.3770 है0, गै0 मु0 रास्ता 0.038 है0 खातेदारी कृषि भूमि में गुलाममो0 पुत्र इस्माईल 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम गुलाब पुत्र इस्माईल के स्थान पर पर अशुद्ध नाम गुलाममो0 पुत्र इस्माईल दर्ज है, अतः प्रार्थी का अशुद्ध

गुलाममो० पुत्र इस्माईल के स्थान पर पर प्रार्थी का सही नाम गुलाब पुत्र इस्माईल दर्ज
जावे ताकि प्रार्थी अपनी वाद भूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर गनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत
वेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दरतावेजात तथा तहसीलदार
से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार
जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार
को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 1 वीएचपी के खाता सं० 96/72
मु० न० 95 के किला न० 6, 7, 13 ता 18, 23 ता 25, मु० न० 98 के किला न० 14/1,
/2, 16/3, 16/4, 17 कुल रकबा 3.4150 है० जिसमें नहरी 3.3770 है०, गै० मु० सरता 0.
है० खातेदारी कृषि भूमि में गुलाममो० पुत्र इस्माईल 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है,
त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गुलाममो० पुत्र इस्माईल की जगह सही नाम गुलाब
इस्माईल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक
न हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया
वे। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई
वाया देय आदि गुलाममो० पुत्र इस्माईल के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम गुलाममो०
इस्माईल ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 3/6/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में
नाया गया।



(कल्पिनी शिवरान)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादस (मादरा जिला हनुमानगढ़)